अनुदान संख्या 101 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 101 - MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	25670,28,00		25670,30,00	24012,07,03	-1658,22,97
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1652,96,40
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			2,00,00	..	-2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें / अधिक व्यय हुई / हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	6410.00	5695.70	5695.70	..
पु.	R.	-714.30			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	383872.00			
पू.	S.	1.00	267225.05	266698.56	-526.49
पु.	R.	-116647.95			
मुख्य शीर्ष "2236"	Major Head "2236"				
पोषण	Nutrition				
मू.	O.	900.00			
			1582.60	1582.54	-0.06
पु.	R.	682.60			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	249400.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-249401.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1847248.00			
			2055738.81	2055738.79	-0.02
पु.	R.	208490.81			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants -in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	79198.00	71491.44	71491.44	..
पु.	R.	-7706.56			

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹249961.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹249610.50 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹249961.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹249610.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – यूनिसेफ को योगदान" – ₹560.00 लाख – प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare-International Co-operation - Contribution to UNICEF" - ₹560.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "समाज कल्याण – बाल कल्याण" –

(i) "स्वायत्त शासी निकायों को सहायता" – ₹506.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित दिसंबर, 2022 में प्राप्त किया गया);

(ii) "मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ)" – ₹9700.00 लाख;

(B) Major Head "2552" -

(a) "Social Welfare - Child Welfare" -

(i) "Support to Autonomous Bodies" - ₹506.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2022);

(ii) "Mission Vatsalya (Child Protection Services and Child Welfare Services)" - ₹9700.00 lakhs;

(iii) "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं – पोषण अभियान – किशोर लड़कियों के लिए योजना" – ₹150491.00 लाख;

(ख) "समाज कल्याण – महिला कल्याण – मिशन शक्ति" – ₹28853.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – समाज कल्याण – बाल कल्याण" – ₹28400.00 लाख; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–समाज कल्याण–बाल कल्याण" – ₹31100.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोजन और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹714.30 लाख की बचत (₹6410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रिया संबंधी विलंब के कारण रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और प्रापण प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई :–

(का) "बाल कल्याण" –

(क) "मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ)" – ₹14306.22 लाख की बचत (₹31552.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता, कम संख्या में विज्ञापन और प्रकाशन, कम संख्या में यात्राओं के होने, कम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विचार–विमर्श करने और बाल इंडिया फाउंडेशन को कम मात्रा में निधियाँ जारी करने के

(iii) "Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls" - ₹150491.00 lakhs;

(b) "Social Welfare-Women's Welfare - Mission Shakti" - ₹28853.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare - Child Welfare" - ₹28400.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan-Social Welfare-Child Welfare" - ₹31100.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Women and Child Development" - saving of ₹714.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6410.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-completion of procurement process owing to procedural delay.

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Child Welfare" -

(a) "Mission Vatsalya (Child Protection Services and Child Welfare Services)" - saving of ₹14306.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31552.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year, less advertisement and publication, less tours undertaken, conduction of less National & Regional

कारण हुई।

(ख) "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं – पोषण अभियान – किशोरियों के लिए योजना)" – ₹47660.18 लाख की बचत (₹57000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि उपलब्ध होने और उपयोग प्रमाण–पत्रों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(खा) "महिला कल्याण – मिशन शक्ति" – ₹45309.80 लाख की बचत (₹182399.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एस एन ए दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने और उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सामर्थ्य (शक्ति सदन (स्वधार/उज्ज्वला/विधवा गृह)/सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास)/पालना (राष्ट्रीय शिशु गृह योजना)/प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र महिला (जेंडर बजटिंग/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया एडवोकेसी आदि)" – ₹9925.90 लाख की बचत (₹33146.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – सामर्थ्य (शक्ति सदन (स्वधार/उज्ज्वला/विधवा गृह)/शक्ति निवास (कामकाजी महिला छात्रावास)/पालना (राष्ट्रीय शिशु गृह योजना)/प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र (जेंडर बजटिंग/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया एडवोकेसी आदि)" – ₹2359.84 लाख की बचत (₹14648.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें एस एन ए दिशा–निर्देश के विलंब से कार्यान्वयन के कारण लाभार्थियों के लिए मातृत्व लाभ हेतु निधियों का कम उपयोग के कारण हुईं।

consultations and less release of funds to Child India Foundation.

(b) "Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)" - saving of ₹47660.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year and non-receipt of utilization certificates.

(B) "Women's Welfare-Mission Shakti" - saving of ₹45309.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹182399.00 lakhs) was due to non-compliance of SNA guidelines by some States/Union Territories and non-receipt of utilisation certificate.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Samarthya (Shakti Sadan (Swadhar/Ujjawala/Widow Home)/Shakhi Niwas (Working Women Hostel)/Palna (National Creche Scheme)/Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana/ National Hub for Women Empowerment (Gender Budgeting/Research/Skilling/Training/Media Advocacy etc.)" - saving of ₹9925.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33146.00 lakhs); and

(D) "Tribal Area Sub-Plan-Samarthya (Shakti Sadan (Swadhar/Ujjawala/Widow Home)/Shakkhi Niwas (Working Women Hostel)/Palna(National Creche Scheme)/Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana/National Hub for Women Empowerment (gender Budgeting/Research/Skilling/Training/Media Advocacy etc.)" - saving of ₹2359.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14648.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less utilisation of funds towards maternity benefits of beneficiaries owing to late implementation of SNA guidelines.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजना – केंद्रीय सहायता/शेयर – मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ)" के अंतर्गत – ₹21343.15 लाख की बचत (₹103474.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता और राज्यों से विलंब से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Scheme - Central Assistance/Share - Mission Vatsalya (Child Protection Services and Child Welfare Services)" - saving of ₹21343.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹103474.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and late receipt of proposals from states.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजना–केंद्रीय सहायता/शेयर" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Scheme-Central Assistance/Share" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह)" – ₹6945.21 लाख की बचत (₹67901.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता और उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्ति नहीं होने और राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche)" - saving of ₹6945.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹67901.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with State Governments/UTs, non-receipt of utilization certificates and receipt of less proposals from the states.

(खा) "मिशन शक्ति" – ₹3184.29 लाख की बचत (₹3606.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Mission Shakti" - saving of ₹3184.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3606.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals from State Governments.

(VI) एक शीर्ष में ₹257.23 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत है।

(VI) Under one head saving of ₹257.23 lakhs occurred constituting 24 percent of the sectioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4006.94 लाख) प्रयुक्त हो गयी जैसा कि मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – महिला कल्याण – स्वायत्त निकायों को सहायता" के अंतर्गत दिसंबर, 2022 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था – तथापि, अधिक व्यय राशि ₹3976.85 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹4006.94 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2022 under Major Head "2235" - "Social Welfare - Women's Welfare - Support to Autonomous Bodies" - Actual excess, however, was ₹3976.85 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(II) Saving were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2236" – "सामान्य–निदेशन और प्रशासन – खाद्य और पोषण बोर्ड और उसके क्षेत्रीय कार्यालय" – ₹682.54 लाख का अधिक व्यय (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और बकाया लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं" –

(क) "केंद्रीय सहायता/शेयर" –

(i) "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह)" – ₹169767.22 लाख का अधिक व्यय (₹1089509.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और जल सुविधाएं प्रदान करने के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबन्धित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण हुआ।

(ii) "मिशन शक्ति" – ₹8033.09 लाख का अधिक व्यय (₹53459.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोर लड़कियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह)" – ₹21933.63 लाख का अधिक व्यय (₹433154.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह)" –

(A) Major Head "2236" - "General-Direction and Administration-Food and Nutrition Board and its Regional Offices" - excess of ₹682.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and clearance of outstanding license fee.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche)" - excess of ₹169767.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1089509.00 lakhs) was due to construction and providing water facilities at Anganwadi Centers and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Mission Shakti" - excess of ₹8033.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53459.00 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche)" - excess of ₹21933.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹433154.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent

₹30100.00 लाख का अधिक व्यय (₹167652.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मुख्य शीर्ष "2552" से उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबन्धित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/शेयर – मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ)" – ₹2423.27 लाख का अधिक व्यय (₹2491.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाल गृहों के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू–कश्मीर द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹200.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित किया गया।

Girls, National Creche)" - excess of ₹30100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹167652.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes-Central Assistance/Share - Mission Vatsalya (Child Protection Services and Child Welfare Services)" - excess of ₹2423.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2491.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by UTs Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir for Children Homes.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹200.00 lakhs remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.